<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 2078

11 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए और नवाचारी उपाय

2078. डा॰ विनय पी॰ सहस्रबुद्धे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय में सामान्य रूप से और/या इसके विभिन्न विभागों या पीएसयू और इससे संबद्ध स्वायत्त निकायों में उसके द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्य संस्कृति में सुधार लाने, अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने तथा परिणामोन्मुखिता बढ़ाने के लिए किसी प्रकार के नए तथा नवाचारी उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रयासों का क्या प्रभाव रहा है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) और (ख): जी, हाँ। इस्पात मंत्रालय ने बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, ई-ऑफिस मॉड्यूल, जीईएम पोर्टल के माध्यम से प्रापण, भविष्य (पेंशन मंजूरी और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली) जैसे उपायों को कार्यान्वित किया है। इस्पात मंत्रालय के अधीन सीपीएसई ने भी पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न लिखित शामिल हैं:-

(i) सेल संयंत्रों में रिकग्नाइजिंग प्रायर लर्निंग (आरपीएल) को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय लौह एवं इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद (आईआईएसएसएससी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। कर्मचारियों को आरपीएल कार्यक्रमों के अधीन कवर किया गया है।

(ii) सेल द्वारा ई-प्रापण प्रक्रिया कार्यान्वित की गई है।

(iii) सेल संयंत्रों/यूनिटों में प्रापण प्रक्रिया में उत्पन्न परिवर्तनों को शामिल करने के लिए प्रापण/संविदा प्रक्रिया (पीसीपी) में संशोधन।

(iv) सेल द्वारा बयाना राशि की वापसी को सुव्यवस्थित करना।

(v) आरआईएनएल ने संगठन के विभिन्न कार्यों में और अधिक दक्षता, पारदर्शिता लाने के लिए कंपनी में ईआरपी-एसएपी प्रणाली कार्यान्वित की।

(vi) आरआईएनएल ने एंटरप्राइज बिल ट्रैकिंग सिस्टम (ईबीटीएस) कार्यान्वित किया है जहां विक्रेता, हितधारक अपने बिल अपलोड कर सकते हैं और उनका पता लगा सकते हैं तथा भुगतान भी ऑनलाइन देखा जा सकता है।

(vii) आरआईएनएल ने कुछ उत्पादों की निविदा/बिक्री में ई-नीलामी/रिवर्स ई-नीलामी आंरभ की है।

(viii) एनएमडीसी ने नेतृत्व क्षमता निर्माण और उत्तराधिकार योजना के लिए परियोजना नवचेतना आरंभ की है।

(ix) केआईओसीएल द्वारा 2 लाख के अनुमानित मूल्य से अधिक की खरीद ई-खरीद के माध्यम से की जाती है।

(x) केआईओसीएल द्वारा कैशलेस लेन-देन से कागजी कार्रवाई कम हो गयी है, लेन-देन में अधिक पारदर्शिता आई है और विक्रेताओं को शीघ्र भुगतान संभव हो पाया है।

(xi) मॉयल द्वारा ठेकेदारों, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और कर्मचारियों को ऑन-लाइन भुगतान किया जाता है।

(xii) मॉयल में ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए बिल ट्रैकिंग प्रणाली का पालन किया जाता है।

(xiii) मॉयल ने नीतियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए पीपुल कैपेबिलिटी मैच्युरिटी मॉडल (पीसीएमएम) का कार्यान्वयन किया है।

(xiv) मेकॉन ने व्यापार की गतिशीलता और समय-समय पर बदलती मांगों को ध्यान में रखते हुए खरीद और निपटान प्रक्रिया नियमावली और शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन किया है।

(ग): उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप बेहतर कार्य संस्कृति, अधिक श्रम उत्पादकता, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध तथा अत्यधिक पारदर्शिता और जवाबदेही उत्पन्न हुई है।

****